

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10-स]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जनवरी 2008—पौष 26, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2008

क्रमांक 587/डी. 12/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 05-01-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 02 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2007

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2007 है.

(2) यह 1 अप्रैल, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम 56 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट है) की धारा-2 में, मूलभूत नियम के नियम 56 में,—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द “शासकीय शिक्षक और चतुर्थ वर्ग के शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक” के स्थान पर, शब्द “शासकीय शिक्षक, चतुर्थ वर्ग, के शासकीय सेवक, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त हुआ हो, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त हुआ हो तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ हो, से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक” स्थापित किये जाए ;

(दो) उपनियम (1-क) के स्पष्टीकरण में, शब्द “था चिकित्सा” और त्रियक (अवलीक) चिन्ह तथा शब्द “चिकित्सा” का लोप किया जाए ;

(तीन) उपनियम (1-क) के स्पष्टीकरण में, शब्द “स्कूल/महाविद्यालयीन/तकनीकी/चिकित्सा” के स्थान पर शब्द “स्कूल/महाविद्यालयीन/तकनीकी” प्रतिस्थापित किया जाए ;

(चार) उपनियम (1-ख) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

“(1-ग) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, उस मास के, जिसमें वह बांसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त हो जायेगा ;

परन्तु छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का ऐसा सदस्य तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा सदस्य जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में बांसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा ;

स्पष्टीकरण— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए “छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य” तथा “छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य” से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में की गई है और इसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित है, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जिसने कम से कम बीस वर्षों तक चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा अथवा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(1-घ) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य, (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दंत शल्य चिकित्सक को छोड़कर) उस मास के, जिसमें वह बांसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा ;

परन्तु छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का कोई सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय का सहायक अधीक्षक तथा दंत शल्य चिकित्सक, उस मास के, जिसमें वह बांसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जायेगा और यदि उसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो तो पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में बांसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा ;

परन्तु यह और कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य, (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दंत शल्य चिकित्सक को छोड़कर) जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में बांसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा.

परन्तु यह और भी कि 01 अप्रैल, 2007 और इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान (चिकित्सक अथवा चिकित्सा शिक्षक की) मृत्यु होने पर इस अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं होगा.

संश्लेषण— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए “छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य” से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं और उसमें ऐसा चिकित्सा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित चिकित्सा शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।”

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 5 सन् 2007) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2008

क्रमांक 587/डी. 12/21-अ/प्रा./छ. ग./08.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 02 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कंभूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 02 of 2008)

THE CHHATTISGARH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU)
(SANSHODHAN) ACT, 2007

An Act Further to amend the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhinyam, 1967 (No. 29 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Eighth year of the Republic of India, as follows :-

Short title and
Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) (Sanshodhan) Adhinyam, 2007.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2007.

Amendment of Fundamental Rule 56 as substituted by section 2 of the Chhattisgarh Act No. 29 of 1967.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhinyam, 1967 (No. 29 of 1967) (here-in-after referred to as the Principal Act), in Rule 56 of the Fundamental Rules,—
(i) In sub-rule (1), for the words “every Government servant other than a Government Teacher and a Class IV Government Servant”, the words “every Government Servant other than a Government Teacher, a Class IV Government Servant, every member of the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare

(Gazetted) Service appointed to a medical post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988, every member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service appointed to a Medical post maintained in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) Recruitment Rules, 1987 and every member of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service appointed to a medical teacher post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987" shall be substituted.

- (ii) In explanation to sub-rules (1-a), the words "or medical" shall be omitted.
- (iii) In explanation to sub-rules (1-a), for the words "School/Collegiate/Technical/Medical" the words "School/College/Technical" shall be substituted.
- (iv) After sub-rule (1-b), the following shall be inserted, namely ;—

"(1-c) Subject to the provisions of sub-rule (2), every member of the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service appointed to a medical post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988 and every member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service appointed to a medical post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) Recruitment Rules, 1987 shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 62 years ;

Provided that a member of the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service appointed to a medical post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988 and a member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service appointed to a medical post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) Recruitment Rules, 1987 whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty two years.

Explanation :— For the purpose of this sub-rule "a member of the Chhattisgarh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Service" and "Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service" means a Government servant by whatever designation called, appointed as Medical Officer or Specialist in accordance with the recruitment rules and shall also include such Medical Officer or Specialist who is appointed to a administrative post by promotion or otherwise and who has served as Medical Officer or Specialist for not less than twenty years provided he holds a lien on a post in concerned Chhattisgarh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Service or Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service.

- (1-d) Subject to the provisions of sub-rule (2), a member of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service (excluding General Duty Medical Officer, Assistant Superintendent of Teaching Hospital and

Dental Surgeon) appointed to a medical teacher post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987 shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which he attains the age of sixty five years :

Provided that General Duty Medical Officer, Assistant Superintendent of Teaching Hospital and Dental Surgeon of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty two years and if their date of birth is the first of a month then they shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty two years :

Provided further that a member of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service (excluding General Duty Medical Officer, Assistant Superintendent of Teaching Hospital and Dental Surgeon) appointed to a medical teacher post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987 whose date of birth in the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty five years.

Provided further that the benefit of this Act shall not be available in case of death (Doctor or Medical Teachers) occurred during the period in between 1st April 2007 and date of publication of this Act.

Explanation :- For the purpose of this sub-rule "a member of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service" means a Government servant by whatever designation called, appointed for the purpose of teaching in Government Medical College, in accordance with the recruitment rule applicable to such appointment and shall also include the medical teacher who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has been engaged in teaching for not less than twenty years provided he holds a lien on a post in concerned Medical Education Service."

Repeal.

3. The Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2007 (No. 5 of 2007) is hereby repealed.